भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3655
सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक)

उद्योगों में रोजगार के अवसर

3655. श्री रामप्रीत मंडलः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बेरोजगारों को विभिन्न उद्योगों में रोजगार प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान की गई पहलों का उद्योग-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) युवाओं को प्रदान किए गए नियमित रोजगार और संविदात्मक रोजगार का उद्योग-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, पुरूष और महिला में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात क्रमशः 71.2% एवं 22.0% रिपोर्ट किया गया है। सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक कामगारों का उद्योग-वार प्रतिशत वितरण नीचे दिया गया है:

(%में)

क्र.सं.	व्यापक उद्योग प्रभाग/कामगारों की श्रेणी	पीएलएफएस (2017-18)			
		पुरूष		महिला	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1.	कृषि	55.0	5.4	73.2	9.1
2.	खनन और उत्खनन	0.5	0.6	0.2	0.2
3.	विनिर्माण	7.7	22.4	8.1	25.2
4.	विद्युत एलं जल आदि	0.5	1.3	0.0	0.6
5.	निर्माण	14.5	11.7	5.3	4.1
6.	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	9.2	24.5	4.0	13.0
7.	परिवहन, भंडारण एवं संचार	5.2	12.7	0.3	3.3
8.	अन्य सेवाएं	7.6	21.5	8.9	44.4

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

एएसपीआईआरई (नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमशीलता के संवर्द्धन के लिए योजना) कृषि-उद्योग में उद्यमशीलता को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क तथा उद्भवन केंद्रों की स्थापना के लिए प्रारंभ की गई थी।

(ग): केंद्रीय स्तर पर आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) (2017-18) के परिणामों के अनुसार, प्रत्येक कार्य उद्योग में व्यापक रोजगार स्थिति द्वारा सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक सामान्य रूप से कामकाजी व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण नीचे दिया गया है:

(%में)

उद्योग	व्यक्ति	
	नियमित मजदूरी/वेतन	नैमतिक श्रमिक
खनन और उत्खनन	49.5	43.0
विनिर्माण	41.5	16.3
विद्युत एवं जल की आपूर्ति	78.1	6.1
निर्माण	5.5	83.7
व्यापार	25.5	3.9
परिवहन	43.2	12.3
आवास और खाद्य सेवाएँ	32.0	9.8
अन्य सेवाएं	75. 2	3.7

*****